



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1941 (श0)
(सं0 पटना 885) पटना, बुधवार, 31 जुलाई 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

31 जुलाई 2019

एस० ओ० 348, दिनांक 31 जुलाई 2019—बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् के सिफारिशों पर वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 212, दिनांक 8 मई 2019, जिसे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 598 दिनांक 8 मई 2019 के द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा:

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, परंतुक में "31 जुलाई, 2019" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "31 अगस्त, 2019" अंक, अक्षर और शब्द रखे जायेंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 2196)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

31 जुलाई 2019

एस० ओ०. 348, दिनांक 31 जुलाई 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 2196)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 31st July 2019

S.O. 348, Dated 31st July 2019—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department S.O. No. 212, dated the 08th May, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 598, dated the 08th May, 2019, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, in the proviso, for the figures, letters and words “31st day of July, 2019”, the figures, letters and word, “31st day of August, 2019” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 29th July, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 2196)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 885-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>